प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 45 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002

दिनांकः दिसम्बर 9 , 2024

विषयः अप्लीकेशन (482) संख्या-32881/2024 सचिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थिति के दौरान मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में Section-138, Negotiable Instruments Act-1881 के मामलों में मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (Process) का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि) के प्रभावी तामीला हेतु इस मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं। अप्लीकेशन (482) संख्या-32881/2024 सचिन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 27.11.2024 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा Section-138, Negotiable Instruments Act-1881 के प्रकरणों में मा0 विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत किये जा रहे प्रासेस, वारण्ट आदि का तामीला न कराये जाने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

डीजी परिपत्र सं0-09/2024 दि.05.03.2024
शासनादेश संख्या-एचसी-100/छः-पु0-9-2023 दि.14.10.2023
डीजी परिपत्र सं0-40/2023 दि.10.10.2023
डीजी परिपत्र सं0-30/2023 दि.16.08.2023

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने Suo Motu Writ (Criminal) No. 2/2020 In Re: EXPEDITIOUS TRIAL OF CASES UNDER SECTION 138 OF N.I. ACT 1881 में पारित आदेश दिनांकित 16.04.2021 तथा 19.05.2022 द्वारा धारा-138 N.I. Act 1881 के मामलों के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया गया है।

3- मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस आदि) का प्रभावी तामीला कराया जाना उ0प्र0 पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2024 को सुनवाई के दौरान दिये गये उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि Section-138, Negotiable Instruments Act-1881 के प्रकरणों में मा0 विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत किये जा रहे प्रासेस, वारण्ट आदि का तामीला सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु अपने

.....2

अधीनस्थों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 न्यायालयों के समक्ष लम्बित इन प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा सके।

यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

~~संलग्नकः यथोपरि।~~

भवदीय,

9.XII.2

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।